न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–198/2008/टोंक (2008/00011)

1. संजय कुमार पुत्र कपूरचन्द जैन, जाति जैन, निवासी टोडारायसिंह हाल मालपुरा, जिला टोंक ।

अपीलांट

बनाम

1. नायब तहसीलदार, मालपुरा जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध नायब तहसीलदार, मालपुरा अंतर्गत नामांतकरण संख्या 3088 दिनांक 8.10.1999 .

उपस्थितः–

1. श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, वकील अपीलांट ।
2. श्री सुवालाल गुजंल, पैरोकार सरकार ।

निर्णय

दिनांक :– 9.7.2018

अपीलांट ने यह अपील नायब तहसीलदार, मालपुरा जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 3088 दिनांक 8.10.1999 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, मालपुरा ने प्रार्थी/अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 2561/4 रकबा 19–10–00 बीघा किस्म तालाबी प्रथम वाके ग्राम लावा को जरिये नामांतकरण संख्या 3088 दिनांक 8.10.1999 द्वारा अन्य आराजियात के साथ सिवायचक दर्ज करने

के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात पर अपीलांट का पिछले 23–24 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु इसके बावजूद नायब तहसीलदार ने फर्द दिनांक 21.6.1975 व 16.2. 1976 के आधार पर कब्जा सरकार का होना लिखकर नामांतकरण भरा गया है जो प्रथमदृष्टया ही गलत एवं अवैध है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि जो फर्द दिनांक 21.6.1975 व 16.2. 1976 की बतायी गयी है वे झूंठी व फर्जी है जबकि इस तिथि के पश्चात् लगभग 20 नामांतकरण कब्जे के आधार पर उक्त राजस्व कर्मचारियों/अधिकारयों ने मौके की जांच कर कब्जे के आधार पर खातेदारान के नाम नामांतकरण भरे है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट के नाम आराजियात का नामांतकरण डिक्री उनवानी संजय कुमार बनाम वंशप्रदीप सिंह मु0 नं0 41/91 निर्णय दिनांक 31.7.1991 न्यायालय उप जिलाधीश, मालपुरा के आधार पर व आदेश से भरा गया था तथा उक्त डिक्री के प्रभाव में रहते सिवायचक का नामांतकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता था । नायब तहसीलदार, मालपुरा ने तथाकथित नामांतकरण तस्दीक करते समय अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया एव ंना ही सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर नायब तहसीलदार, मालपुरा का नामांतकरण संख्या 3088 दिनांक 8.10.1999 अपास्त किया जावे एवं विवादित आराजी का नामांतकरण अपीलांट के नाम तस्दीक करने के आदेश प्रदान करावे । xx

4- अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ने यह अपील कानून की अनभिज्ञता के कारण उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी जबकि यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत होनी चाहिये थी। उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने दिनांक 21.10.2008 को अपील प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाये जाने पर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है तथा विवादित भूमि सिवायचक है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने अपील कथनों के साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अधिवक्त की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दू से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । नामांतकरण संख्या 3088 दिनांक 8.10.1999 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार, मालपुरा ने उपखण्ड अधिकारी द्वारा सीलिंग अवाप्ति प्रकरण संख्या 95 में पारित आदेश दिनांक 6.4.1999 की पालना में सिवायचक का नामांतकरण तस्दीक किया है जबकि इसी खसरा नंबर सिवायचक का नामांतकरण खोले जाने से पूर्व अपीलांट गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी बाबत् न्यायालय उप जिलाधीश, मालपुरा के न्यायालय में संजय कुमार बनाम वंश प्रदीपसिंह मु0 नं0 41/91 में उप जिलाधीश, मालपुरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.1991 के आधार पर खातेदार के पक्ष में नामांतकरण भरा गया था तथा उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त कराये बिना सिवायचक नामांतकरण संख्या 3088 नहीं भरा जा सकता है, किन्तु इस संबंध में अपीलांट ने न्यायालय उप जिलाधीश, मालपुरा के न्यायालय के निर्णय व डिक्री के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है जिससे यह सिद्ध हो कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट के पक्ष में डिक्री जारी की गई हो। नामांतकरण संख्या 3088 दिनांक 8.10.1999 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त नामांतकरण उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में चले सीलिंग अवाप्ति प्रकरण संख्या 95 में पारित निर्णय दिनांक 6.4.1999 के पालना में तस्दीक किया गया है तथा न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में स्वीकृत नामांतकरण के विरूद्ध न्यायालय हाजा को अपील सुनने का अधिकार नहीं है । राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (1) (F) सपठित धारा 135 के अधीन भू–अभिलेख से संबंधित मामलों में भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा के विरूद्ध न्यायालय हाजा को अपील सुनने का क्षैत्राधिकार है जबकि विवादित नामांतकरण संख्या 3088 दिनांक 8.10.1999 का मूल आधार उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में सीलिंग अवाप्ति प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 6.4.1999 है तथा ऐसे आदेशों को सक्षम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार में नहीं होने तथा अपील में अंकित तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में असफल रहने के फलस्वरूप अपास्त

योग्य तथा नायब तहसीलदार, मालपुरा द्वारा संस्थित नामांतकरण संख्या 3088 दिनांक 8.10.1999 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 198/2008 (2008/00011) बउनवानी संजय कुमार बनाम राज0 सरकार को अपास्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार, मालपुरा द्वारा संस्थित नामांतकरण संख्या 3088 दिनांक 8.10.1999 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 9.7.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर